कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला–सूरजपुर (छ.ग)

Email – ee.surajpur@nic.in ee.pwdsuraj@gmail.com Fax No. 07775-266276

ज्ञापन क्र. / 603 / तक. / 2022–23 सूरजपुर दिनांक : 18 / 05 / 2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन
अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय : सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अन्तर्गत वन सरंक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर द्वारा नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु 1.82 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि पंजीयन बाबत्।

संदर्भ: आपके कार्यालय के कार्यालयीन टीप दिनांक 05.04.2022

विष्यान्तर्गत संदर्भीत टीप के आधार पर लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि के वन सरंक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्राप्त आपत्तियों की जानकारी निम्नानुसार है:–

1.	बिन्दु क्रमांक A-1 में विवरण पूर्ण लेख करें।	
2.	बिन्दु क्रमांक B-1 में पूर्व में प्रस्तुत एवं स्वीकृत परियोजना का विवरण अपलोड करें। निर्धारित कॉलम में जानकारी अपलोड करें।	संभाग द्वारा पूर्व में किसी भी प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त नही हुई है। संभाग द्वारा केवल भगवानपुर से आन्नदपुर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित 9.155 हे0 वन भूमि व्यवर्तन प्रस्ताव में ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, वर्तमान समय में प्रस्ताव अन्तर्गत अतिरिक्त जानकारी आवेदक संस्थान द्वारा पत्र क्रमांक द्वारा प्रेषित किया गया है। जानकारी अन्य जानकारी बिन्दु पर अपलोड किया गया है।
3.	C.(iii)b(1) टोपोशीट अस्पष्ट है। (Resolution 1:50000) में इन्डेक्स में आर.एफ / पी.एफ / राजस्व वन क्षेत्र / राजस्व गैर वन क्षेत्र / निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा दर्शाते हुए मय आवेदक संस्थान द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें।	बिन्दु क्रमांक C.(iii)b(1) में डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट द्वारा निर्मित टोपोशीट अपलोड किया गया है। उक्त टोपोशीट में केवल प्रभावित क्षेत्र को दर्शित किया गया है। जिसका स्केल 1:50000 का ही है जो इन्डेक्स पर दर्शित किया गया है। प्रस्तावित कोर्ट भवन निर्माण में केवल 1.82 हे0 राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है, अन्य प्रकार की कोई भूमि प्रभावित नही हो रही है। अपलोड टोपोशीट में अधिकृत हस्ताक्षर कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. संभाग सूरजपुर के हस्ताक्षर है।

4.	C.(iv) Geo-referenced map अस्पष्ट है। (Resolution 1:50000) में इन्डेक्स में आर.एफ/पी.एफ/राजस्व वन क्षेत्र/राजस्व गैर वन क्षेत्र/निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा दर्शाते हुए मय आवेदक संस्थान द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें।	डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट द्वारा निर्मित Geo-referenced map का स्केल 1:5000 रखा गया है क्योकि अधिक स्केल में मैप पर प्रभावित क्षेत्र अत्यन्त सुक्ष्म दिखाई देता हैं, अपलोड किया गया है। प्रस्तावित कोर्ट भवन निर्माण में केवल 1.82 हे0 राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है, अन्य प्रकार की कोई भूमि प्रभावित नही हो रही है। अपलोड मैप में अधिकृत हस्ताक्षर कार्यपालन अभियंता लो. नि.वि. संभाग सूरजपुर के हस्ताक्षर है।
5.	L Details of land identified for compensatory forestation (iv) Upload kml के attribute में विवरण (जैसे RF/PF/ along with compartment no. and area in ha./revenue forest land along with khasra no. and area in ha. आदि)	करते हुए KML के attribute में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित खसरा क्रमांक 780 रकबा 3.64 हे0 भूमि को खसरा नम्बर के साथ दर्शित कर अपलोड़ किया गया है।
	(vi) Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS at Total station: इन्डेक्स में आर.एफ/पी.एफ/राजस्व वन क्षेत्र/राजस्व गैर वन क्षेत्र /निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा दर्शाते हुए मय आवेदक संस्थान द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें।	डी.जी.पी.एस. सर्वे इन्डेक्स में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित खसरा क्रमांक 780 रकबा 3.64 हे0 भूमि दर्शाते हुए अधिकृत किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड किया गया है।
	(vii) Copy of Survey of India Toposheet in 1:50000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS at Total station: इन्डेक्स में आर.एफ/पी.एफ/राजस्व वन क्षेत्र/राजस्व गैर वन क्षेत्र /निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा दर्शाते हुए मय आवेदक संस्थान द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें।	डी.जी.पी.एस. सर्वे द्वारा निर्मित टोपोशिट स्केल 1:50000 में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 3.64 हे0 भूमि दर्शाते हुए अधिकृत किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड किया गया है।

6.	अतिरिक्त जानकारी में 1. पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क हेतु छ.ग. शासन के संलग्न पत्र क्रमांक/एफ–7/22/2009/10–2 रायपुर दिनांक 30.06.2012 अनुसार वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल के नाम से डी.डी. बनवाकर अपलोड करें। डी.डी. की वैधता समाप्त हो चुकी है। वैध डी.डी. अपलोड करें।	पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क हेतु रूपये 6000/– एवं 18000/– के डीमान्ड ड्राफट वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर को देय की वैधता संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है।
	2. उक्त कार्य से संबंधित राज्य सरकार एवं भारत सरकार का स्वीकृति पत्र अपलोड करें। अतिरिक्त जानकारी में आवासीय गृह से संबंधित जानकारी अपलोड की गई है। सही जानकारी अपलोड करें।	प्रशासकिय स्वीकृति अनुमोदन हेतु राज्य शासन को भेजा गया है। उससे पूर्व भूमि संबंधित कार्य पूर्ण किया जाने हेतु निर्देश प्राप्त है। उक्त कार्य हेतु बजट स्वीकृत है। आवासीय गृह से संबंधित पत्र त्रुटि वश अपलोड हो गया था।

उक्त सभी जानकारी एवं मानचित्र सर्वे प्रतिवेदन अनुसार अपलोड कर आपकी ओर सादर प्रेषित है अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही हेतु पंजीयन प्रदाय करने की कृपा करें।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, संभाग सूरजपुर
जिला – सूरजपुर (छ.ग.)